

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावाप्त भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/08/2022 को संपन्न 419वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 417वीं एवं 418वीं बैठक दिनांक 25/07/2022 एवं 26/07/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन के संबंध में ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 417वीं एवं 418वीं बैठक दिनांक 25/07/2022 एवं 26/07/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।



एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मुख्तियारपारा आर्टिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती बीना सिंह), ग्राम-मुख्तियारपारा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1993)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 266882/ 2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुख्तियारपारा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक - 2/1, कुल क्षेत्रफल - 2.023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता - 12,069 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपाल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल - 2.023 हेक्टेयर, क्षमता - 12,074 टन (4,471.85 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत

है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iv. निर्धारित शर्तानुसार 500 नग वृक्षालेपण किया गया है।
- v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1048/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	832
2018	447
2019	390
2020	542

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुखियारपारा का दिनांक 20/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - मांडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ प्रोप्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2188/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1049/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती बीना सिंह के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2012 से 04/01/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2017 से दिनांक 04/01/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/398 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना आवश्यक है तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-मुखियापारा 500 मीटर, स्कूल ग्राम-मुखियापारा 500 मीटर एवं अस्पताल विरमिरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.8 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 120 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिगोलीजिकल रिजर्व 9,39,481 टन, माईनेबल रिजर्व 5,13,643 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,87,961 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,890 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है, जिसमें से 16 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,073
द्वितीय	12,069
तृतीय	12,069
चतुर्थ	12,069
पंचम	12,069

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,41,450 रुपये, खाद के लिए राशि 10,000



रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,37,480 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की नोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण करने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईट निर्माण के लिए किया जाना बताया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाए तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री प्लानर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्त्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स भीतररास सेण्ड माईन (प्रो.- श्री दीपक गुप्ता), ग्राम-भीतररास, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1994)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268564/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-भीतररास, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी, स्थित खसरा क्रमांक 630, कुल क्षेत्रफल- 4.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता - 51,906 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मोहरेंगा ऑर्डिनरी सेम्ड क्वारी (प्रो.- श्री बसंत सिन्हा), ग्राम-मोहरेंगा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1995)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75906/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-मोहरेंगा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1332, कुल क्षेत्रफल-15 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता - 4,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पराग बड़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहरेंगा का दिनांक 24/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/38/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत कांकेर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 788(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 788(ए) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री बसंत सिन्हा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 774/खनिज/निविदा/2022 धमतरी, दिनांक 12/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. वन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-मोहरेंगा 300 मीटर, स्कूल ग्राम-मोहरेंगा 300 मीटर एवं अस्पताल हसदा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाट्रिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1040 मीटर, न्यूनतम 832 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 504 मीटर, न्यूनतम 488 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 342 मीटर, न्यूनतम 264 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 166 मीटर, न्यूनतम 124 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा- 4,50,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 10 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदित खदान से मेसर्स डमकाडीह ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री बसंत सिन्हा), ग्राम-डमकाडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-घमतरी की दूरी 1 कि.मी. है। बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य खदान की 10 कि.मी. की परिधि में किया जाएगा, चूंकि ई.आई.ए. नॉनिटरिंग हेतु 10 कि.मी. के बफर जोन में उपरोक्त खदानें एक-दूसरे में ओवर लेप हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा

दोनों खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों खदानों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय क्लस्टर (खनि. शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 788(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-गोहरेंगा) का क्षेत्रफल 15 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.
- v. Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary.
- vi. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

- vii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).
- viii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department and DCF (Deputy Conservator of Forest), wildlife, Udanti / Sitanadi sanctuary mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary and Sitanadi/Udanti wildlife sanctuary.
- ix. EIA study shall be at minimum 10 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स डमकाडीह ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री बसंत सिन्हा), ग्राम-डमकाडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1996)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75916/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-डमकाडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 716, कुल क्षेत्रफल-13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पैरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता - 3,90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पराग बड़े, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परेवाडीह का दिनांक 15/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकर के ज्ञापन क्रमांक/35/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत कांकर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 787(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 787(ए) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री बसंत सिन्हा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के क्रमांक 770/खनिज/निविदा/2022 धमतरी, दिनांक 12/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./जी/3199 धमतरी, दिनांक 18/06/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 15-20 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-डमकाडीह 500 मीटर, स्कूल ग्राम-डमकाडीह 500 मीटर एवं अस्पताल हसदा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 995 मीटर, न्यूनतम 935 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 469 मीटर, न्यूनतम 456 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 295 मीटर,

न्यूनतम 270 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 143 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर है।

13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 3,90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 10 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत वर्तमान लेवलस (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदान के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदित खदान से मेसर्स मोहरेंगा ऑर्डिनरी सेम्ड क्वारी (प्रो.- श्री बसंत सिन्हा), ग्राम-मोहरेंगा, तहसील-मगरलोक, जिला-धमतरी की दूरी 1 कि.मी. है। बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य खदान की 10 कि.मी. की परिधि में किया जाएगा, चूंकि ई.आई.ए. मॉनिटरिंग हेतु 10 कि.मी. के बफर जोन में उपरोक्त खदानें एक-दूसरे में ओवर लेप हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा दोनों खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों खदानों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।
16. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय क्लस्टर (खनि. शाखा) धमतरी के आपन क्रमांक 787(बी) धमतरी, दिनांक 13/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर

अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-डमकाझीह) का क्षेत्रफल 13 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatlagarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.
- v. Project Proponent shall submit the co-ordinates of Boundary.
- vi. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.
- vii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).
- viii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department and DCF (Deputy Conservator of Forest) wildlife, Udanti / Sitanadi sanctuary mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary and Sitanadi/Udanti wildlife sanctuary.
- ix. EIA study shall be at minimum 10 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स पत्सेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अशोक सिंह राजपूत), ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1997)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 75976 / 2022, दिनांक 21 / 04 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 83, 93, 94, 95, 96 एवं 97/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,006.25 टन (802.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 03 / 08 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08 / 08 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पालक राम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 83, 93, 94, 95, 96 एवं 97 / 2, कुल क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर, क्षमता-802.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 16 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15 / 01 / 2022 तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15 / 01 / 2023 तक वैध होगी।

- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

- v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 995/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	200
2018	42
2019	354
2020	715
01/01/2021 से 30/06/2021	317
01/07/2021 से 30/09/2021	220
01/10/2021 से 31/03/2022	320

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 14/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1620/क/खलि/न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 12/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1016/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 24.91 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 385/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- लीज का विवरण - लीज श्री अशोक सिंह राजपुत के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/07/2013 से 14/07/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/07/2023 से दिनांक 14/07/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
- भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 83, 93, 94 एवं 97/2 आवेदक के नाम पर है और खसरा क्रमांक 95 एवं 96 श्रीमती जागेश्वरी साहू, श्रीमती मंजनी साहू एवं श्रीमती फूलेश्वरी साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/3307 महासमुंद, दिनांक 17/09/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।



10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-अछोली 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-अछोली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल आरंग 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1.7 कि.मी., नहर 660 मीटर, मौसमी नाला 210 मीटर एवं महानदी 775 मीटर की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविकिधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 34,800 घनमीटर (87,000 टन), माईनेबल रिजर्व 7,446 घनमीटर (18,615 टन) एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,584 घनमीटर (13,961 टन) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 33,172 घनमीटर (82,930 टन) एवं माईनेबल रिजर्व 5,818 घनमीटर (14,545 टन) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,966 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,502 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लारिस्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छत्तीसगढ़ उपखनिज नियम, 2015 के अन्तर्गत उत्खनन योजना के प्राकथान को शामिल किये जाने से पूर्व ही, उत्खनन के दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।	
तृतीय	1,443.75
चतुर्थ	1,485.0
पंचम	1,777.5

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	1,661.25
सप्तम	2,006.25
अष्टम	2,381.25
नवम	2,388.75
दशम	3,030.0

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.88 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 594 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 394 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के घाटों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक श्रीमती सविता यादव (एसआईए / सीजी / एम्आईएन / 71373/2022) में आने वाली सनस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से 31/05/2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के शासन क्रमांक 1015/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 04/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 24.91 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) का रकबा 0.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।



3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil/over burden within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।



6. मेसर्स विरेन्द्रनगर आर्किटेक्चर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री सिराजुल हक अंसारी),
ग्राम - विरेन्द्रनगर, तहसील - बाइफनगर, जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
(सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1999)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन /
289128/2022, दिनांक 23/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया
गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-विरेन्द्रनगर, तहसील-बाइफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित
खसरा क्रमांक - 422/1, 422/2 एवं 423, कुल क्षेत्रफल - 1.6 हेक्टेयर में
प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 10,218 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु इनामुल हक अंसारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा
नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में
ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर का दिनांक 25/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2021-22 में पत्थर
उत्खनन कर क्रशर उपयोग किये जाने हेतु दिया गया था, जिसकी वैधता समाप्त
हो गई है। समिति का मत है कि उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना हेतु वैध ग्राम
पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विद्य क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया
गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ. ज्ञापन
क्रमांक/52/खनिज/खलि.2/2022/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक
21/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/1094/खनिज/उत्खनि.
/2021 बलरामपुर, दिनांक 20/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500
मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय
कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन
क्रमांक/1095/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 20/12/2021
द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी
सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, धार्मिक स्थल, मरघट, स्कूल, पुल,
कलक्ट, बांध, मंदिर, मस्जिद, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल
आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज
शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्र./1001/गीण



खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक है।

7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 422/1 श्री जिया उलहक के नाम पर है। खसरा क्रमांक 422/2 एवं 423 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2020/6020 बलरामपुर, दिनांक 05/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-विरेन्द्रनगर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-विरेन्द्रनगर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। नाला 900 मीटर दूर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिबोलॉजिकल रिजर्व 2,49,800 टन (96,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,00,230 टन (38,550 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 95,218 टन (36,622 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,940 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,720 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,218	षष्ठम	9,828
द्वितीय	10,218	सप्तम	9,828
तृतीय	10,218	अष्टम	9,828
चतुर्थ	10,218	नवम	9,828
पंचम	10,218	दशम	9,828

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र संकीर्ण होने के कारण 600 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village-Birendranagar	
			Pavitra Van Nirman	2.26
			Total	2.26

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 44,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 86,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,76,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 474/1, क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. समिति का मत है कि उक्त सी.ई.आर. हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में पौधों, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए उपयुक्त राशि की गणना नहीं की गई है। अतः प्रस्ताव में संशोधन कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. उत्खनन एवं क़शर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।



2017-18	985
2018-19	890
2019-20	995
2020-21	300

- v. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 01/04/2021 से दिनांक 06/08/2022 तक पत्थर उत्खनन कार्य बंद है। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलिहाघाट का दिनांक 24/03/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वैरी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वैरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1507/ख.लि./तीन-1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 06/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 850/खलि/तीन-1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.683 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 850/खलि/तीन-1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 26/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज श्री होरीलाल चंद्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2008 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज का नवीनीकरण 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तक, अधि/खनिज/2022/1246 बलौदाबाजार, दिनांक 05/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सलिहाघाट 850 मीटर, स्कूल ग्राम-सलिहाघाट 1 कि.मी. एवं अस्पताल भटगांव 6.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.25 कि.मी. दूर है। महानदी 220 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 99,236 टन, माइनेबल रिजर्व 46,989 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 42,290 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 94,203 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 37,760 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,940 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन की मोटाई 0.3 मीटर थी, जिसका उत्खनन पूर्व में ही किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,317.77	षष्ठम	4,330.3
द्वितीय	4,330.3	सप्तम	4,330.3
तृतीय	4,330.3	अष्टम	4,330.3
चतुर्थ	4,330.3	नवम	4,330.3
पंचम	4,330.3	दशम	4,330.3

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.15 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 588 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसके अनुसार पौधों, खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,14,700 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 4,58,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,940 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,096.57 वर्गमीटर क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,096.57 वर्गमीटर क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी लीज प्राप्त होने के पूर्व से ही उत्खनित है। वर्तमान में उनके द्वारा उत्खनित क्षेत्र का मिट्टी से पुनःभराव कर वृक्षारोपण कर फोटोग्राफस प्रस्तुत किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

167/5, 167/6, 167/7, 167/9, 176/2, 176/3, 176/4 एवं 177/1 (पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर, क्षमता - 4,330 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित राफ्त पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती शानू गुप्ता), ग्राम-घोंडारी, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2000)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 76120/2022, दिनांक 25/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-घोंडारी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 74/2, कुल क्षेत्रफल - 0.83 हेक्टेयर में है। खदान की उत्खनन क्षमता - 1,365 घनमीटर (3,412.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 74/2, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-1,365 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of

Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।

- vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र के ज्ञापन क्रमांक 1010/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 03/08/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	519
2018	399
2019	250
2020	547
01/01/2021 से 30/09/2021	निरंक
01/10/2021 से 31/03/2022	200

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 23/01/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2016/2731 रायपुर, दिनांक 29/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 380/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 39.77 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 380/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती शानू गुप्ता के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2011 से 21/02/2021 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज का नवीनीकरण 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/02/2021 से 21/02/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विमान का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/3525 महासमुंद, दिनांक 30/08/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-घोड़ारी 125 मीटर, स्कूल ग्राम-घोड़ारी 740 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 7.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। महानदी 410 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,61,447 टन, माईनेबल रिजर्व 84,022 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 63,016 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,56,680 टन एवं माईनेबल रिजर्व 79,235 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,604 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,253.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लैस्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,000	षष्ठम	3,513.75
द्वितीय	3,112.5	सप्तम	3,600
तृतीय	3,206.25	अष्टम	3,712.5
चतुर्थ	3,300	नवम	3,806.25
पंचम	3,412	दशम	3,903.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.88 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।



13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 570 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 370 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुड़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुड़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 860 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेंव, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 380/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) का रकबा 0.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।



2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल नाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुरासा की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.
- viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.



- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स अरिहंत टाईल्स (प्रो.- श्री मनीष कोठारी, लाईम स्टोन (पलेग स्टोन) क्वारी), ग्राम-घोड़ारी, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2001)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर- एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69742 / 2021, दिनांक 25 / 04 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (फर्शी पत्थर) (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-घोड़ारी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल - 0.48 हेक्टेयर में है। खदान की उत्खनन क्षमता - 2,988.75 टन (1,195.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 08 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08 / 08 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कोठारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 10, कुल क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-1,195.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 16 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15 / 01 / 2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15 / 01 / 2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत

है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	468
2018	1,346
2019	1,497
2020	1,410

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 19/08/2009 एवं दिनांक 07/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विध क्वारी क्लोजर प्लान विध इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1777/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 02/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 89 खदानें, क्षेत्रफल 40.12 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1284/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स अरिहंत टाईल्स प्रो. श्री मनीष कोठारी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/10/2010 से 11/10/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/10/2015 से 11/10/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/3977 महासमुंद, दिनांक 04/11/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-घोड़ारी 500 मीटर, स्कूल ग्राम-घोड़ारी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। महानदी 250 मीटर दूर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,12,918 टन, माईनेबल रिजर्व 29,444 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 22,083 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,08,948 टन एवं माईनेबल रिजर्व 23,474 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,556 वर्गमीटर है। ओपन कारस्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,553.75	षष्ठम	3,041.25
द्वितीय	2,602.5	सप्तम	3,071.25
तृतीय	2,628.75	अष्टम	3,116.25
चतुर्थ	2,876.25	नवम	3,187.5
पंचम	2,988.75	दशम	3,255.0

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.11 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोस्वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 311 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 111 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम-घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला-महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्ती पत्थर खदानें,



कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम-घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम-बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम-घोड़ारी एवं मुईना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में ओवर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 85 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. नॉनितरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.12 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) का रकबा 0.48 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.80 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिकनेस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

Y.S.K.

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from mining department.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.
- ix. EIA study shall be at minimum 12 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।



10. मेसर्स फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.- श्रीमती अनुपमा रात्रे), ग्राम-घोड़ारी, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2002)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए / सीजी / एमआईएन / 76145 / 2022, दिनांक 26 / 04 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गीण खनिज) खदान है। ग्राम-घोड़ारी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक - 29, कुल क्षेत्रफल- 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2,376 घनमीटर (5,937.5 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 08 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08 / 08 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवकुमार रात्रे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 29, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21 / 03 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 20 / 03 / 2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 20 / 03 / 2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र के ज्ञापन क्रमांक 1025/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 04/08/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	
2019	153
2020	201
01/01/2021 से 30/09/2021	255
01/10/2021 से 31/03/2022	675

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोड़ारी का दिनांक 23/01/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-8/2016/क्यू रायपुर, दिनांक 23/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.06 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1289/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती अनुपमा रात्रे के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/2688 महासमुंद, दिनांक 03/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-घोड़ारी 120 मीटर, स्कूल ग्राम-घोड़ारी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 7.85 कि.मी.की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 880 मीटर एवं राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूर है। महानदी 620 मीटर दूर है।

निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10-10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 196 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-घोड़ारी) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars and the distance between the boundary pillars be 50 meters. Area to be fenced.
- viii. EIA study shall be at minimum 12 no. of monitoring stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in india.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in form of affidavit stating that there is no violation of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीम्स एण्ड द्युल्हा प्राइवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम-सरोरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा कामला विस्तार के तहत ग्राम-सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 813, 814,



815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल - 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत आवेदन किया गया है:-

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरान्त प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	-	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि-होटींग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	-	1,20,000
मैल्केनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	-	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	-	34,600

पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 3 करोड़ होगी।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत ग्राम-सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल - 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:-

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरान्त प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस युनिट किथ सी.सी.एम. से बिलेट्स/इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से सी-रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
मैल्केनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब्स एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन युनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

(1) कुल 1,20,000 टन प्रतिवर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स में से 1,08,000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन ऑनलाईन हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल से लगे हुये इण्डक्शन फर्नेस युनिट

सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि-हीटिंग कर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। प्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पयुम एक्सट्रैक्शन सिस्टम एवं 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी।

4. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मेटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार एस.ओ.₂ उत्सर्जन की मात्रा 18,000 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी, जिससे एस.ओ.₂ उत्सर्जन की मात्रा 16,800 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।
6. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेग – 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूस्ड ऑयल – 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज – 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग प्रोसेसिंग यूनिट को विक्रय किया जाएगा। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा। लाईम स्लज को सीमेंट उद्योग को विक्रय किया जाएगा। ऐश को ईट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. जल प्रबंधन व्यवस्था –
 - जल खपत एवं स्रोत – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 98 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 09 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु कुल 115 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 82 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा 32,340 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जारी की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/02/2021 तक थी। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम) स्थापित है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार

हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन हेतु अपनाई जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 18,313 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था परचात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
- 8. **विद्युत खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु लगभग कुल 14.89 मेगावॉट विद्युत खपत होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. (02 नग x 75 के.वी.ए.) का डी.जी. सेट स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन उपरांत अपनाई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परिसर के भीतर सोलर प्लांट की स्थापना किया गया है। समिति का मत है कि सोलर प्लांट की क्षमता एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.88 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किया गया है तथा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार 33 प्रतिशत में से शेष 0.213 हेक्टेयर (8 प्रतिशत) वृक्षारोपण के स्थान पर दुगुना वृक्षारोपण 0.426 हेक्टेयर (16 प्रतिशत) का कार्य किये जाने हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण में राशि रुपये 20,16,000/- जमा किया गया है। साथ ही उनके द्वारा उद्योग परिसर के 5 किलोमीटर के भीतर 0.364 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 910 नग पौधे लगाया जाना बताया गया है। इस प्रकार कुल 1,244 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 3,110 नग पौधे रोपित किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है।
- 10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1015	1%	10.15	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	6.09

		Running Water Facility for Toilets	1.80
		Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC	1.75
		Plantation with Fencing	1.00
		Total	10.64

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-खुडमुड़ी, (2) शासकीय शाला ग्राम-खांगेरपेट (3) शासकीय शाला ग्राम-नोदामोर, (4) शासकीय शाला ग्राम-बोहरडीह, (5) शासकीय शाला ग्राम-मूरकोनी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-नाधी, (7) शासकीय शाला ग्राम-निनवा, (8) शासकीय शाला ग्राम-सनगुनी, (9) शासकीय शाला ग्राम-भरदा एवं (10) शासकीय शाला ग्राम-भेरवा में किया जाएगा।

11. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन हेतु एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ-मटेरियल बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ-मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन की मात्रा का उल्लेख किया गया था एवं वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पार्टिकुलेट मीटर के लिए प्रस्तुत गणना में उत्सर्जन की मात्रा में भिन्नता है। समिति का मत है कि उक्त का स्पष्टीकरण किया जाए।
4. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफस सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफस प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु सीएसआईडीसी/जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अधॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनजी बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं री-मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रदूषण मार संबंधी जानकारी - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में इण्डकशन फर्नेस-1, रि-हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 4,104 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डकशन फर्नेस-1, रि-हीटिंग फर्नेस एवं जी.आई. पाईप इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 3,402 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रोलिंग मिल से स्लेज - 17,100 टन प्रतिवर्ष, यूरूड ऑयल - 0.21 घनमीटर प्रतिवर्ष, लाईम स्लज - 153 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश - 13 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि (2,700 घनमीटर) होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल रनऑफ (18,313 घनमीटर) का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।
4. उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस बाबत उद्योग प्रबंधन द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. सोलर प्लांट की क्षमता (फोटोग्राफस सहित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की फोटोग्राफस प्रस्तुत की गई है।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से दिनांक 08/02/2021 से 07/02/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कृष्णा आयरन स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 एवं 848A, कुल क्षेत्रफल - 2667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई:-

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इगाट	1,20,000	-	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)
रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000

[Handwritten Signature]

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	1,20,000	—	1,20,000
मैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	—	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	—	34,600

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

- छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 16/03/2007 द्वारा रायपुर जिले के उरला, सिलतरा एवं खोरझरा क्षेत्रों में नये स्पंज आयरन प्लांट एवं कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र की स्थापना पर रोक बाबत पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 07/07/2012 द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 16/06/2012 के कार्यवाही विवरण से अवगत कराते हुये पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त आदेशों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना में वर्तमान में स्थापित सी-हीटिंग फर्नेस एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत सी-हीटिंग फर्नेस में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट (7.06 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेंड) का आटा समान लिया गया है, जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रदूषण भार की गणना का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी हेतु विद्युत खपत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे मान्य किया जाना संभव नहीं है। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार अध्यक्ष महोदय के ई-मेल दिनांक 27/06/2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (Technical Consultant is Busy in NABET Meeting) से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर कुमार लाल दास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गई कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(उ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिनव अग्रवाल, डायरेक्टर एवं श्री प्रभाकर लाल दास, मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा रोलिंग मिल से थिन स्ट्रिप्स (finished product-thin strips) का उत्पाद किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ताप की गिरावट होने के कारण से थिन स्ट्रिप्स का उत्पादन किया जाना संभव नहीं होना बताया गया है। उक्त कारणों से उनके द्वारा हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल हेतु आवेदन किया गया है।
2. **प्रदूषण भार की गणना** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण भार की गणना कर निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-
 - i. वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 12.34 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 10,533.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में संलग्न बेग फिल्टर को पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर में परिवर्तन कर पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 12.34 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 8,553.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।
 - ii. वर्तमान में स्थापित जी.आई. पाईप में चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो रेट 11.33 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 30,587.34 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत स्थापित जी.आई. पाईप में पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्युमेट्रिक फ्लो

रेट 11.33 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 29,382 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

- iii. प्रस्तावित संशोधन हेतु रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में स्थापित धिमनी की ऊंचाई 33 मीटर एवं व्यास 1.18 मीटर को डिसमैटल कर प्रस्तावित नवीन धिमनी की ऊंचाई 35 मीटर एवं व्यास 1.4 मीटर किया जाएगा। साथ ही स्थापित रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में संलग्न बेग फिल्टर को पी.टी.एफ. ई. बेग फिल्टर में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफायर क्षमता 15 टन प्रतिघंटा से बढ़ाकर 25 टन प्रतिघंटा किया जाना प्रस्तावित है।
- iv. वर्तमान में स्थापित रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में धिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 12.13 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 10,375.5 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में धिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 18 सामान्य घनमीटर प्रति सेकेण्ड के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 12,830 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस, जी.आई. पाईप एवं रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन कुल 51,498.44 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित संशोधन उपरांत इण्डक्शन फर्नेस, जी.आई. पाईप एवं रि-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन कुल 50,765.6 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 1038/2018 में दिनांक 10/07/2019 एवं 23/08/2019 को देश के 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों / क्लस्टर बाबत पारित आदेश के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8178/मुख्या./छ.ग.प.सं.मं./2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार "Units shall provide green belt of 40% of the total plot area. In case there is restriction of land available within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry out balance plantation within 5 km radius from its premises to achieve the required plantation of 40%." का उल्लेख है। अतः उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
4. परियोजना में कोल गैसीफायर का उपयोग किये जाने के कारण संभवतः किर्नॉलिक वॉटर उत्पन्न होगा। अतः इस संबंध में किर्नॉलिक वॉटर के निपटान हेतु प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित संशोधन उपरांत परियोजना हेतु विनियोग 34.42 करोड़ होगा। अतः समिति का मत है कि उक्त विनियोग के आधार पर सी.ई.आर. हेतु व्यय किये जाने वाले राशि में वृद्धि होगा। अतः सी.ई.आर. का पूर्ण विवरण सहित संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले-आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. फिर्नालिक वॉटर के निपटान हेतु प्रोसेस प्लो चार्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत हीट बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. का पूर्ण विवरण सहित संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट ले-आउट में सभी इकाईयों को स्पष्ट दर्शाते हुये संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मोहमदटा डोलोमाईट स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम-मोहमदटा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2054)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 275396 / 2022, दिनांक 28 / 05 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोहमदटा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746 / 1, 746 / 2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953 / 1, 953 / 2, 954, 958 / 2, 962, 932 / 1, 932 / 2, 932 / 3, 937 / 1, 937 / 2, 938, 976, 977, 986 / 2, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-94,335 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27 / 07 / 2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 405वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2022 में किये गये अनुरांता के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन की प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स गुरुश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छिटापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर- श्री मनमोहन शर्मा), ग्राम-छिटापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1854)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 89941 / 2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 19/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छिटापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक-5/2 एवं 5/20, कुल क्षेत्रफल-4.162 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,50,647 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र अनुसार आवेदित प्रकरण को ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 09/12/2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों हेतु प्रेषित किये जाने वाले ई.डी.एस. में खुट्टि होने के कारण ऑनलाईन पत्र परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त नहीं हो पाया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 11/07/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में वांछित जानकारी दिनांक 11/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/2022 को इसी क्लस्टर के अन्य प्रकरणों की प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित प्रकरण के संदर्भ में समिति को अवगत कराया गया। अतः आवेदित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। ताकि इसी क्लस्टर के अन्य प्रकरणों के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु संयुक्त लोक सुनवाई कराया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

मेसर्स सलिहाघाट लाईम स्टोन माईन (पो.- श्री होरी लाल चन्दा) को खसरा क्रमांक 167/1, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9, 176/2, 176/3, 176/4 एवं 177/1 (पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 0.78 हेक्टेयर, ग्राम-सलिहाघाट, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-माटापारा में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 4,330 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.78 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 4,330 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कृशारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विमनी / बेंट / घाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर घाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के

विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम संप्रेषण सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिजली अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिजली अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)



15.53	2%	0.31	Following activities at Government Middle School Village- Salihaghat	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			UV Water Filter (8 litre)	0.19
			5 Year AMC	
			Running water arrangement in toilet	
			Water tank	
Pipeline & Installation	0.16			
Total		0.35		

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत प्राचार्य (Principal) से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
18. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
19. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 588 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण (कुल 788 नग) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
22. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
25. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पब्लिसिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
29. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
30. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
31. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
33. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
34. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
35. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
36. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी



निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

38. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
39. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
40. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
41. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
43. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
44. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य, सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.